रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10032022-234041
SG-DL-E-10032022-234041

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2022/फाल्गुन 18, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 504
No. 144]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2022/PHALGUNA 18, 1943	[N. C. T. D. No. 504

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस–II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 मार्च, 2022

सं. फा. 3/01/हेस्मा/2022/गृह पुलिस–II/455-467.—जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा 6 साल तक के बच्चों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की आबादी के सबसे कमजोर समूहों को उपलब्ध कराई जा रही पूरक पोषण, टीकाकरण स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, अनौपचारिक पूर्व–विद्यालय शिक्षा और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सेवाएं आवश्यक सेवाएं हैं तथा ऐसी सेवाओं को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित करना आवश्यक और समीचीन है।

अब, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30.7.1993 की अधिसूचना सं0 जी एस आर 526(अ) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित हरियाणा अनिवार्य सेवाएं रखरखाव अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम सं. 40) की धारा 4क के साथ पठित धारा 3 खण्ड–(ii) के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उपर्युक्त सेवाओं को अनिवार्य सेवाएं घोषित करते हैं और आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा की जाने वाली हड़ताल पर इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से छः माह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

एल.के. गौतम, उप सचिव (गृह–IIबी)

HOME POLICE-II DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 9th March, 2022

F. No. 3/01/HESMA/2022/HP-II/455-467.—Whereas, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that the services of supplementary Nutrition, Immunization, Health Check-up, Referral Services, Non-formal pre-school education and Nutrition & Health Education provided by Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers in Anganwadi Centres are essential services for the most vulnerable groups of the population including children up to 6 years of age, pregnant and lactating women of the National Territory of Delhi and it is necessary and expedient to declare such services as essential services.

Now, therefore, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of Powers conferred upon him under section 3 clause (ii) read with section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974) as extended to the National Capital Territory of Delhi vide Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. GSR 526 (E) dated 30.7.93, hereby declares the above said services as essential services and prohibits the strike by the Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers in Anganwadi Centres, for a period of six months with effect from date of issuance of this notification

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

L.K. GAUTAM, Dy. Secy (Home-IIB)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.03.10 16:51:13 +05'30'